



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 12-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 24, 2020 (CHAITRA 4, 1942 SAKA)

PART - I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मार्च, 2020

क्रमांक 2858/20R.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में निम्नलिखित भूमि ड्रेन नं० 1 (छोटी यमुना) को ड्रेन नं० 2 से जोड़ने के लिए भूमिगत पाईपलाईन द्वारा आर डी० 37320 से 50120 तक गांव चौरा व बसी अकरबुर मलिकपुर गडियन और जमालपुर तहसील घरौण्डा जिला करनाल में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए आवश्यक है तथा भूमि जिसका विवरण साथ में संलग्न है जिसके अधीन उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी प्रस्तावित की गई है जिसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ।

इसलिए, अब हरियाणा भूमिगत पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2008 (2008 का अधिनियम नं० 31) की धारा 3, उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा साथ में संलग्न विशिष्टियों में वर्णित उक्त भूमि पर उपयोग व अधिकार का अर्जन करने का आशय घोषित करते हैं।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर करनाल को अपने सेवको तथा कर्मकारों सहित प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य कार्य करने के लिए इस के द्वारा प्राधिकृत करते हैं ।

हरियाणा भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2008 (2008 का अधिनियम नं० 31) की धारा 3, उपधारा (1) के अन्तर्गत भूमि दस्तावेज सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा मेमो संख्या 28/244/2019-7-IW दिनांक 06.12.2019 के द्वारा अनुमोदित किये गए हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे साथ में संलग्न वर्णित भूमि में भूमिगत पाईपलाईन को बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार अर्जन करने में अपेक्षित यदि कोई हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित दो समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि इनमें से जो भी बाद में हो से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर करनाल या कार्यकारी अभियन्ता इन्द्री जल सेवाएं मण्डल करनाल के कार्यालय में लिखित रूप में आपति दायर कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के, खण्ड (क) के अधीन हरियाणा सरकार के कानून और विधायी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एल0ई0जी0 33/2008 दिनांक 06.10.2008 द्वारा सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया है ।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर करनाल व कार्यकारी अभियन्ता इन्द्री जल सेवाएं मण्डल करनाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्टियाँ

क्र.	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल कनाल/मरला	मुस्तबिल संख्या	किला संख्या/खसरा संख्या कनाल/मरला
							भूमि की एक पटी 11 फुट की चौड़ाई में जो कि सजरा प्लान में दर्शाया गया और जो कि निम्नलिखित मुरब्बा नं० व किला नं० में से गुजरेगी
1	करनाल	घरौण्डा	चौरा	13	7-15	23	1मिन(0-11)
						24	5/2मिन(0-1) 6मिन(0-9) 15मिन(0-8) 14मिन(0-1) 17/1मिन(0-4) 17/2मिन(0-3) 24मिन(0-8) 23मिन(0-1)
						35	3मिन(0-9) 8मिन(0-8) 9मिन(0-2) 12मिन(0-9) 19/1मिन(0-6) 19/2/2मिन(0-1) 20मिन(0-2) 21मिन(0-9)
						39	1मिन(0-6)
						40	5/2मिन(0-5) 6मिन(0-9) 14मिन(0-9) 17मिन(0-6) 18मिन(0-2) 23/2मिन(0-8)
						48	3मिन(0-8) 8मिन(0-10)
2	करनाल	घरौण्डा	बसी अकबर पुर	16	3-16	21	13मिन(0-8) 18मिन(0-8) 23मिन(0-8)
						24	3/1मिन(0-8) 8मिन(0-8) 13/1मिन(0-4) 13/2मिन(0-4) 18/1मिन(0-2) 18/2मिन(0-5) 23मिन(0-8)
						35	3मिन(0-8) 8मिन(0-5)
3	करनाल	घरौण्डा	मलिकपुर गादियान	20	9-5	2	9मिन(0-3) 12मिन(0-7) 19मिन(0-8) 22/2मिन(0-8)
						8	2मिन(0-8) 9मिन(0-8) 12मिन(0-8) 19मिन(0-8) 22मिन(0-8)
						12	2/2मिन(0-8) 9मिन(0-8) 12मिन(0-8) 19मिन(0-7) 22/2मिन(0-8)
						17	2मिन(0-6) 9मिन(0-8) 12/2मिन(0-8) 19/1मिन(0-8) 22/2मिन(0-8)
						22	2मिन(0-8) 9मिन(0-8) 12मिन(0-8) 19मिन(0-8) 22मिन(0-8)
						24	2मिन(0-2)
4	करनाल	घरौण्डा	जमाल पुर	22	4-4	4	3मिन (0-6) 8मिन(0-8) 13/1 मिन(0-2) 13/2 मिन(0-5) 18/2 मिन(0-8) 23 मिन(0-8)

क्र.	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल कनाल/मरला	मुस्तबिल संख्या	किला संख्या/खसरा संख्या कनाल/मरला
						19	3 मिन(0-8) 8 मिन(0-8) 13 मिन(0-8) 18 मिन(0-11) 17 मिन(0-1) 24 मिन(0-11)
				कुल जोड़	25-0		
					3.13 एकड		

(हस्ता०)...,
कार्यकारी अभियन्ता,
इन्द्री जल सवायें मण्डल
करनाल।

(हस्ता०)...,
अधीक्षक अभियन्ता,
यमुना जल सेवायें परिमण्डल
करनाल।

HARYANA GOVERNMENT
IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT
Notification

The 11th March, 2020

No. 2858/20R.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the Government in public interest for laying underground pipeline for connecting Main drain No.1 (Chhoti Yamuna) to Main Drain No.2 from RD 37320 to 50120 under Haryana Act No. 31 of 2008 pertaining to the villages Choura, Bassi Akbarpur, Malikpur Gadiyan, Jamalpur in Tehsil Gharaunda Distt. Karnal and it is necessary to acquire land under right of user in land, of which the descriptions is attached where the said underground pipe line is to be laid.

Now, therefore in exercise of powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Haryana underground pipe lines (Acquisition of right of User in Land), Act, 2008 (Act No. 31 of 2008), the Governor of Haryana hereby notify its intention to acquire the right of user over the said Land described with specifications attached.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana here by authorizes the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Karnal with their servants and work men, for the time being engaged in the under taking, to enter upon and survey the land in the locality and to all other Acts required as permitted by that section.

Land document under Sub-section (i) of Section 3 of the Haryana underground pipe lines (Acquisition of right of User in Land), Act, 2008 (Act No. 31 of 2008) has been approved by the Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana , Irrigation & Water Resources Department, Chandigarh vide Memo No. 28/244/2019-7-I W dated 06.12.2019.

Any person interested in land described in (copy attached), who has any objection to the acquisition of the right of user in land for laying of the underground pipe lines, may, with in a period of twenty one days from the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the locality, of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality whichever is later, file an objection, if any, in writing before the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Karnal or Executive Engineer, Indri W/S Division, Karnal who are authorized as the competent authority by the State Government under clause(a) of Section 2 of the said Act, notified vide Haryana Government, Law and Legislative Department, Notification No. Leg 33/2008 Dated 06 October 2008.

The maps of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-Cum- Land Acquisition Collector, Karnal or in the office of Executive Engineer Indri W/S Division, Karnal.

Schedule of Land

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Muraba No.	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
							A land strip of 11 feet breadth shown in Sajra Plan which is passing through the following Khasra No. & Killa No.
1	Karnal	Gharaunda	Choura	13	7-15	23	1 Min (0-11)
						24	5 / 2 Min (0-1) 6 Min (0-9) 15 Min (0-8) 14 Min (0-1) 17 / 1 Min (0-4) 17 / 2 Min (0-3) 24 Min (0-8) 23 Min (0-1)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Muraba No.	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
1	Karnal	Gharaunda	Choura	13	7-15	35	3 Min (0-9) 8 Min (0-8) 9 Min (0-2) 12 Min (0-9) 19 / 1 Min (0-6) 19 / 2 / 2 Min (0-1) 20 Min (0-2) 21 Min (0-9)
						39	1 Min (0-6)
						40	5 / 2 Min (0-5) 6 Min (0-9) 14 Min (0-9) 17 Min (0-6) 18 Min (0-2) 23 / 2 Min (0-8)
						48	3 Min (0-8) 8 Min (0-10)
2	Karnal	Gharaunda	Bassi Akbarpur	16	3-16	21	13 Min (0-8) 18 Min (0-8) 23 Min (0-8)
						24	3 / 1 Min (0-8) 8 Min (0-8) 13 / 1 Min (0-4) 13 / 2 Min (0-4) 18 / 1 Min (0-2) 18 / 2 Min (0-5) 23 Min (0-8)
						35	3 Min (0-8) 8 Min (0-5)
3	Karnal	Gharaunda	Malikpur Gadiyan	20	9-5	2	9 Min (0-3) 12 Min (0-7) 19 Min (0-8) 22 / 2 Min (0-8)
						8	2 Min (0-8) 9 Min (0-8) 12 Min (0-8) 19 Min (0-8) 22 Min (0-8)
						12	2 / 2 Min (0-8) 9 Min (0-8) 12 Min (0-8) 19 Min (0-7) 22 / 2 Min (0-8)
						17	2 Min (0-6) 9 Min (0-8) 12 / 2 Min (0-8) 19 / 1 Min (0-8) 22 / 2 Min (0-8)
						22	2 Min (0-8) 9 Min (0-8) 12 Min (0-8) 19 Min (0-8) 22 Min (0-8)
						24	2 Min (0-2)
4	Karnal	Gharaunda	Jamalpur	22	4-4	4	3 Min (0-6) 8 Min (0-8) 13 / 1 Min (0-2) 13 / 2 Min (0-5) 18 / 2 Min (0-8) 23 Min (0-8)
						19	3 Min (0-8) 8 Min (0-8) 13 Min (0-8) 18 Min (0-11) 17 Min (0-1) 24 Min (0-11)
				G. Total	25-0		
					3.13 Acres		

(Sd.)...,
Executive Engineer,
Indri W.S. Division,
Karnal.

(Sd.)...,
Superintending Engineer,
Y.W.S. Circle, Karnal.